

तहसीलदार मसूदा, जिला - अजमेर

पर जरिए पटवारी हल्का

खखा II

बनाम श्री वीसा

प्रकरण संख्या 188/2019

पुत्र उकार

जाति गुर्जर निवासी

माधोगढ़

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट

-निर्णय:-

दिनांक 13.8.19

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का खखा II द्वारा सम्बत 2076 ग्राम माधोगढ़ की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 619 कुल रकबा 143-13 किस्म भूमि चरागाह में से रकबा 2-00-00 बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री वीसा पुत्र उकार जाति गुर्जर निवासी माधोगढ़ द्वारा नाजायज वाइलगास कर लिये जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 13.8.19 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है।

अतः श्री वीसा पुत्र उकार जाति गुर्जर निवासी माधोगढ़ को सिवायचक भूमि ग्राम माधोगढ़ के खसरा नं. 619 कुल रकबा 143-13 किस्म भूमि चरागाह में से रकबा 2-00-00 भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान का पचास गुणा 50/- रुपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खड़ी फसल/अन्य को जब्त सरकार कर निलास किया जावे आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.8.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया।

(प्रभात त्रिपाठी)

तहसीलदार मसूदा
जिला - अजमेर

वर्ष 2019 के रा.ले. 4 रजिस्टर के

पृष्ठ सं. पर उ. 50 की मांग कायम की गई।

त.रा. 11.8.19